Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

DIPP Point No. 250

Question	Remarks
9b. Inspection of the business premises for VAT (Value Added Tax) registration **Q:** Mandate online submission of inspection report within 48 hours to the Department	The department has mandated online submission of inspection reports for VAT registration in 48 hours

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

कार्यालय आदेश

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 69(2)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, वाणिज्य–कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची, धारा 69(1) में गठित प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो को, अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने हेतु निम्नांकित अनुदेश देते हैं :–

- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो संयुक्त आयुक्त (प्र0) के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- अधिनियम के उद्देश्य हेतु अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी यथासंभव सिर्फ बड़े–बड़े विनिर्माताओं / व्यवसाईयों का ही निरीक्षण करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी बड़े–बड़े विनिर्माता/उपक्रमों/ व्यवसाईयों से, उनके द्वारा राज्यान्तर्गत एवं अंतर्राज्य खरीद/ आवकों के आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित रेलवे गोदामों, ट्रान्सपोर्टरों से भी माल के आवकों से संबंधित आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी सरकारी विभागों/राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से भी उनके द्वारा खरीद किये जाने संबंधित आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी सरकारी वर्क्स विभागों/ उपक्रमों एवं अन्य बड़े उपक्रमों द्वारा दिए जाने वाले संविदाओं हेतु संवेदक को किए गए भुगतान राशि के भी आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी समय–समय पर योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रकों का गहन निरीक्षण करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी यथासंभव व्यवसायिक बैंकों से भी सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा बैंक बिल्टियों के माध्यम से छुड़ाए जाने वाले कन्साइनमेन्ट के भी आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों/विभागों से प्राप्त खरीद/आवक आँकड़ों का Cross Verification अन्तर्राज्य या राज्य के अन्दर के प्रासंगिक व्यवसाईयों से नियमित रूप से करेंगे।
- आंकड़ों एवं वैधानिक प्रपत्रों की सत्यता की जांच हेतु प्रमण्डलीय अन्वेषण के पदाधिकारी अपना प्रायोजित यात्रा दैनिन्दनी आयुक्त को प्रेषित करते हुए, अन्तर्राज्य भ्रमण कर सकेंगे। तत्संबंधी भ्रमण पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाएगी। इस उद्देश्य हेतु संयुक्त आयुक्त के माध्यम से सचिव–सह–आयुक्त से अनुमति प्राप्त करेंगे।
- प्रमण्डल के अधीन किसी अंचल के कर–संग्रह में ह्रास हेतु, प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी अंचल में पदस्थापित पदाधिकारी के समान ही जिम्मेवार होंगे।
- प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी; संयुक्त आयुक्त (प्र०) इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र में, प्रत्येक महीने की समाप्ति के तीसरे दिन अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु, प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी निम्नवत् कार्य प्रणाली के अनुरूप कार्य करेंगे –

(1) बड़े–बड़े व्यवसाईयों के निरीक्षण के पहले, संबंधित अंचल प्रभारी से सम्पर्क स्थापित कर उनके Returns की Scrutiny कर, उनके द्वारा किये जाने वाले, संव्यवहारों के सत्यापन के उद्देश्य हेतु, Returns का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के क्रम में निम्नवत् पहलुओं को ध्यान में रखेंगे –

(a) प्रमण्डल के प्रमुख 51 व्यवसायियों की सूची में शामिल व्यवसायियों के कर–राशि में (10 से 20 प्रतिशत की) कमी होने की स्थिति में, गहन जांच एवं निरीक्षण।

(b) अंतर्राज्य मालों का आवक, जैसे Inter State Purchases, Inter State Arrivals by way of Stock Transfers or Consignment Sales एवं Imports एवं प्रासंगिक वस्तु पर विनिर्दिष्ट कर–दर का सत्यापन् करेंगे।

(c) राज्यान्तर्गत किए जाने वाले खरीद एवं उनमें भुगतान किये गये Input Tax राशि का अध्ययन करेंगे।

(d) मालों की बिक्री का अध्ययन, विशेषकर विनिर्दिष्ट कर–दर में खरीदे गये वस्तुओं की बिक्री उसी विनिर्दिष्ट कर–दर पर हो रही है या नहीं। उदाहरण स्वरूप व्यवसायी 12.5% एवं 4% दोनों के दर से वस्तुओं का खरीद/आवक करते हों, परन्तु बिक्री सिर्फ 4% कर–दर का ही दिखा रहे हों। ऐसी अवस्था में निरीक्षण के क्रम में Stock के सत्यापन् में वह परिलक्षित हो सकेगा।

(e) अंतर्राज्य खरीद के पश्चात् भी Input Tax exceeding Output Tax की स्थिति बनती हो।

(f) अगर बेचने वाला व्यवसायी खरीदने वाले व्यवसायी, को एक खास अंतराल में Regular Cash Discount allow करने के पश्चात्, Input Tax exceeding Output Tax की स्थिति बनती हो, तो अधिनियम में प्रयुक्त 'बिक्री राशि' की परिभाषा, **जिसमें बिक्रय मूल्य में कर राशि रहित है, के अनुसार ही उसकी जांच करेंगे**।

(g) अगर विनिर्माता व्यवसायी अपने उत्पादों को, राज्य के बाहर या अन्दर शाखा अन्तरण करते हैं, तो वैसी अवस्था में वैट नियमावली 2006 के नियम 26(5) से 26(14) में प्रयुक्त सूत्र के आधार पर, Input Tax Credit Amount की पारस्परिक संगणना को ध्यान में रखना।

(h) अंतर्राज्य Stock Transfer करने वाले व्यवसाईयों का स्थाई अभिलेख का भी अध्ययन कर यह जाँच करना कि, केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप अन्य राज्यों हेतु शाखाओं की घोषणा एवं प्रविष्टि निबंधन प्रमाण–पत्र अंकित है अथवा नहीं।

(i) सभी निरीक्षण प्रतिवेदन चार प्रतियों में होगी, जिसकी पहली प्रति व्यवसायी को हस्तगत कराया जाएगा, दूसरी प्रति मुख्यालय को, तीसरी प्रति संयुक्त आयुक्त (प्र०) को एवं अंतिम प्रति कार्यालय–प्रति होगी।

(j) निरीक्षण की तिथि के दूसरे ही दिन सभी प्रतिवेदन संचिकाबद्ध करते हुए, संयुक्त आयुक्त (प्र०) को समर्पित की जायेगी।

Timeline given here

(k) संयुक्त आयुक्त (प्र०) निरीक्षण प्रतिवेदनों का अध्ययन करते हुए, अविलम्ब उसे प्रासंगिक अंचल को पृष्टांकित करते हुए यह अंचलों को निदेश देंगे कि निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर व्यवसायी विशेष की Returns की Scrutiny हो एवं सभी प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन व्यवसायी के प्रासंगिक अभिलेख में संलग्न हो, इसकी जिम्मेवारी अंचल प्रभारी पर होगी।

(l) सभी निरीक्षण हेतु प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्त (प्र०) योजनाबद्ध तरीके से, प्रत्येक महीने हेतु "कार्य योजना" बनाकर आयुक्त को प्रेषित करेंगे।

(m) प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्त (प्र०) नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करेंगे एवं प्रमण्डलीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रेषित निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाईयों की समीक्षा करेंगे एवं फलाफल प्रतिवेदन से आयुक्त को अवगत करायेंगे।

SUPPORTING DOCUMENT

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या–वाकर/कम्प्यू/विविध/9/2015 – 1600(आ०) रॉंची, दिनांक– 2/5/16

प्रेषक,

मुकेश कुमार
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त प्रशासन,
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषय **निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गमन के पूर्व Online Enquiry Process के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वाणिज्य–कर विभाग में निबंधन हेतु दाखिल ऑनलाईन आवेदन **JCRF file** किए जाने के 48 घंटे के भीतर Inquiry Report upload करना अनिवार्य है। Inquiry Report upload करने के लिए Departmental login में "Intititate Enquiry Process" में **steps** दिए गए है। दिए गए कुल 11 **steps** में **step No. 9** में विशेष रूप से upload किए जाने की सुविधा दी गयी हे।

उपरोक्त सभी Process की जानकारी हेतु विभागीय पोर्टल **www.jharkhandcomtax.gov.in** में देखा जा सकता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि निबंधन हेतु आवेदन के संबंध में Inquiry Report यथा समय के भीतर उपरोक्त Process द्वारा upload किया जाना सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

02/05/16

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

SUPPORTING DOCUMENT

PROOF OF INSPECTION REPORTS BEING UPLOADED IN 48 HOURS

Ack no	Contact Person	Task initiated date	Appointment Date	Task Closed date
19901750583424	MAHADEV SAHU	9-5-2016 17:40	10-05-2016 00:00	11-5-2016 17:26
19901750580952	ROHAN KUMAR	4-5-2016 13:19	04-05-2016 00:00	6-5-2016 12:52
19901750582322	NISHANT CONSTRUCTION	4-5-2016 13:39	04-05-2016 00:00	6-5-2016 12:46
19901750583292	MUNESHWAR YADAV	7-5-2016 15:50	09-05-2016 00:00	9-5-2016 14:53
19901750581562	COFCODS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	4-5-2016 13:47	04-05-2016 00:00	6-5-2016 12:42
19901750581673	NAWIN KUMAR	5-5-2016 19:14	06-05-2016 00:00	7-5-2016 18:05
19901750582326	AGUA INDIA PRIVATE LIMITED	5-5-2016 15:22	05-05-2016 00:00	7-5-2016 14:00
19901750581836	UTTAM KUMAR AGARWAL	5-5-2016 17:02	06-05-2016 00:00	7-5-2016 14:31
19901750580578	NEMI CHAND JAIN	5-5-2016 16:27	06-05-2016 00:00	7-5-2016 13:40
19901750582758	VIKASH KUMAR VERMA	5-5-2016 16:51	07-05-2016 00:00	7-5-2016 13:38
19901750582914	SANDEEP KUMAR BARNWAL	5-5-2016 16:58	06-05-2016 00:00	7-5-2016 13:25
19901750582837	KAILASH PRASAD VERMA	5-5-2016 16:49	07-05-2016 00:00	7-5-2016 13:06
19901750582392	SALIM ANSARI	5-5-2016 16:56	06-05-2016 00:00	7-5-2016 13:08
19901750582776	PAWANKUMAR BINOD SAW	5-5-2016 17:05	07-05-2016 00:00	7-5-2016 13:10
19901750583534	G S PRESSURE VESSELS	10-5-2016 13:13	11-05-2016 00:00	11-5-2016 18:30
19901750583219	AMIT CHANDRAKANT PATEL	9-5-2016 12:32	10-05-2016 00:00	10-5-2016 17:27
19901750579936	MANOJ KUMAR MAHATO	3-5-2016 13:44	03-05-2016 00:00	4-5-2016 18:27
19901750582765	AWADHESH KUMAR SINGH	9-5-2016 13:13	10-05-2016 00:00	10-5-2016 17:50
19901750582892	AKASH KUMAR	10-5-2016 13:13	10-05-2016 00:00	11-5-2016 17:10
19901750582674	SANTOSH KUMAR TIWARY	10-5-2016 13:20	10-05-2016 00:00	11-5-2016 17:08
19901750582620	MOLA RAM SAMAD	10-5-2016 11:26	11-05-2016 00:00	11-5-2016 14:00
19901750582508	ANUJ KUMAR SAH	6-5-2016 12:55	06-05-2016 00:00	7-5-2016 13:27
19901750581126	HEMLATA GUPTA	4-5-2016 12:34	04-05-2016 00:00	5-5-2016 12:41
19901750581162	RAMA GARODIA	5-5-2016 13:12	05-05-2016 00:00	6-5-2016 13:08
19901750582716	SONI SINHA	5-5-2016 17:55	06-05-2016 00:00	6-5-2016 15:05
19901750582061	DIPAK KUMAR CHHAPARIA	5-5-2016 17:34	06-05-2016 00:00	6-5-2016 14:30
19901750582736	SONI SINHA	5-5-2016 17:53	06-05-2016 00:00	6-5-2016 14:41
19901750581430	VIVEK KUMAR SINHA	5-5-2016 19:12	06-05-2016 00:00	6-5-2016 15:23
19901750582103	TRIBENI CONSTRUCTION LIMITED	3-5-2016 11:58	03-05-2016 00:00	3-5-2016 15:52
19901750581499	VEENA CHOTALIA	3-5-2016 15:05	03-05-2016 00:00	3-5-2016 17:12